हिमाचल सत्यमेव जयते निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला –171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
secysec-hp@nic.in

SEC.(15)8/94-III 2247 दिनांक शिमला 1 जनवरी, 2018

कार्यालय ओदश

सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पत्र संख्या HP-SSSB-B-(2)843/2015-341030 दिनांक 26th दिसम्बर, 2017 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित उम्मीदवारों की कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर संविदा (अनुबन्ध) के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नामों के आगे दर्शाए गए कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है। संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यलय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को प्रतिमाह रु 5910+1950= ₹ 7860/- की नियत समंकित रकम (जो वेतन +ग्रेड वेतन के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । यदि उम्मीदवार की संविदा में एक वर्ष से अधिक बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष /वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियो में पद के वेतन जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के रूप मे अनुज्ञात की जाएगी :–

कम संख्या	नाम व पता	रोल न0 एंव वर्ग	नियुक्ति उपरान्त तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह गांव करनाल डाकघर दवाहन तैहसील कोटली जिला मण्डी।	512761 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी चम्बा
2	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह गांव अणु डाकघर कथोग तैहसील ठियोग जिला शिमला।	515684 अनुसूचित जाति	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला
3.	श्रीमति सरोज कुमारी पुत्री श्री जगदीश चन्द पत्नी श्री नरेश कुमार गांव व डाकघर जाहू तहसील भोरंज जिला हमीरपुर।	504895 अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर

उम्मीदवार की नियुक्ति निम्न शर्तो पर आधारित होगी :–

1. उम्मीदवार को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया जाता है उनकी नियुक्ति को वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकेगा । अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियुक्ति शर्तो सम्बन्धी करार हस्ताक्षरित करना होगा।
2. अनुबन्ध/ संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि अनुबन्ध पर नियुक्त उम्मीदवार का कार्य /आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनकी संविदा समाप्त की जा सकती है।
3. उम्मीदवार की संविदा के आधार पर नियुक्त वांछित प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त ही वैध मानी जाएगी ।
4. उम्मीदवार की नियुक्ति सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर वैध मानी जाएगी जिस हेतु उम्मीदवार को अपनी उपस्थित के समय वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. उम्मीदवार को किसी मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से जो उसे कम से कम 03 वर्षो से जानता हो द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कार्यभार सम्भालने के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. उम्मीदवार को कार्यभार सम्भालते समय इस आश्य की घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी सरकारी / अर्धसरकारी विभाग से निष्कासित कर्मचारी नही है।
7. उम्मीदवार को कार्य सम्भालने के समय निर्धारित प्रपत्र पर भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा तथा कार्यालय गोपनीयता बनाए रखने के बारे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उम्मीदवार को अपनी उपस्थिति देते समय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान /विश्वविद्यालय से 10+2 शैक्षणिक योग्यता, दसवीं कक्षा उतीर्ण करने का प्रमाण पत्र जिसमें उनकी जन्मतिथि अंकित हो, हिमाचल वासी तथा जिस पद के प्रति वह नियुक्त हुए हैं (अनुसूचित जति /जनजाति /आई आर डी पी/अन्य पिछडा वर्ग) सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
9. उम्मीदवार द्वारा एक ही पत्नी से विवाह अथवा अविवाहिता होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उम्मीदवार की सेवा उन शर्तो व आचरण नियमों जो समय –2 पर ऐसे कर्मचारियों के लिए जो प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित की जांए के पालन के लिए प्रतिबन्धित होगी तथा उम्मीदवार को विभाग में उपस्थिति देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहण समय देय नहीं होगा ।
11. सम्बधित उम्मीदवार द्वारा कोई घोषणा /वचनवद्वता/सूचना/ दस्तावेज आदि जानबूझकर नियुक्ति अधिकारी के ध्यान में नही लाये जाते व झूठे पाये जाते हैं तो वह अपना /अपनी संविदा समाप्त करने के हकदार होगा /होगी ।

यदि सम्बन्धित उम्मीदवारों को उपरोक्त शर्तो के आधार पर अपना अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह 15 जनवरी, 2018 तक उनके नाम के आगे दर्शाए गये तैनाती स्थान मे अपनी उपस्थिति सुनिश्ति करें । उक्त दिनांक के उपरान्त यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्व समझा जाएगा।

(सुनील शर्मा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश शिमला–2

SEC.(15)8/94-III 2248-58 दिनांक शिमला 1 जनवरी, 2018

1. सचिव हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को उनके कार्यालय पत्र संख्या HP-SSSB-B (2) 843/2015 -41030 दिनांक 26th दिसम्बर ,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
3. सम्बन्धित जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि उनके कार्यलय में नियुक्ति उम्मीदवारों से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उपस्थिति लेकर तथा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने उपरान्त उपस्थिति सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्ति करें।
4. समस्त सम्बन्धित चयनित उम्मीदवारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सुनील शर्मा)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश शिमला–2